उत्तरांचल शासन
समाज कल्याण अनुभाग–1
संख्या– 390 / XVII(1)-1 / 2006–2ब(13) / 2005
देहरादून, दिनांक: 01 ~~फरवरी~~ मार्च, 2006

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल शासन, वित्त अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–419 / XXVII(3) / 2005 दिनांक 13 सितम्बर, 2005, जो कि वेतन समिति (1997–1999) की संस्तुतियों के क्रम में लेखा संवर्ग एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के वेतनमानों में संशोधन विषयक है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर स्थापित समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में शासनादेश संख्या–645 / 04–11(एस.सी.पी. / टी.एस.पी.) / 2003, दिनांक 17 मार्च, 2004 में ढांचे के अन्य पदों के साथ सृजित लेखाकार पद पर निम्नांकित तालिका के अनुसार पद सृजन के दिनांक से पुनरीक्षित / उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

क्रमांक	वर्तमान पदनाम	01–01–1996 से लागू सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान	पद सृजन की तिथि से लागू संशोधित वेतनमान
1	लेखाकार	रू. 5000–150–8000	रू. 5500–175–9000

2– उपरोक्तानुसार संशोधित / उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम–22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार किया जायेगा। यदि किसी कर्मचारी / अधिकारी का वेतन निर्धारण उसके द्वारा पूर्व आहरित वेतन से निम्न स्तर पर होता है तो अन्तर की धनराशि उसे वैयक्तिक रूप से अनुमन्य करते हुए उसका पूर्व वेतन संरक्षित किया जायेगा तथा वैयक्तिक वेतन की धनराशि का समायोजन आगामी वेतन वृद्धि में कर लिया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार सम्बन्धित पद धारक को मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत विकल्प का भी अधिकार होगा अर्थात वह दिनांक 01–04–2001 अथवा वर्तमान वेतनमान में किसी अनुवर्ती / वेतन वृद्धि की तिथि से संशोधित वेतनमान का विकल्प दे सकता है। विकल्प देने की स्थिति इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक होगी। उक्त अवधि के अन्त तक विकल्प न देने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि पात्र कर्मचारी द्वारा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से विकल्प दिया गया है।

4– इस शासनादेश द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान का पद के सृजन से 31 अगस्त, 2005 तक की देय समस्त अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दी जायेगी। जो अधिकारी / कर्मचारी इस अवधि में सेवानिवृत्त हो गये हों, उनको अवशेष की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नगद किया जायेगा।

5– यह आदेश पत्रावली पर प्राप्त वित्त विभाग की सहमति दिनांक 07–2–2006 से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

क्रमशः 2

संख्या:– ३९८ (1)/XVII(1)-1/05–24(13)/2005/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–3/7.
4. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तरांचल एकक, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
6. वित्त अधिकारी, सचिवालय प्रशासन।
7. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव